



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 9075/अका./का.प./2021

रायपुर, दिनांक 22/06/2021

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की अंठावनवीं बैठक शुक्रवार, दिनांक 18.06.2021 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए -

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति - अध्यक्ष

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| 1. डॉ. शैलेंद्र सराफ | - सदस्य | 8. डॉ. के.एन. शर्मा | - सदस्य |
| 2. डॉ. कल्लोल कुमार घोष | - सदस्य | 9. डॉ. एम.एल. नायक | - सदस्य |
| 3. डॉ. (श्रीमती) नंदा गुरवारा | - सदस्य | 10. श्री सोनऊ राम नेताम | - सदस्य |
| 4. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव | - सदस्य | 11. श्री सत्यनारायण शर्मा | - सदस्य |
| 5. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल | - सदस्य | 12. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव | - सदस्य |
| 6. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा | - सदस्य | 13. डॉ. समीर ठाकुर | - सदस्य |
| 7. डॉ. (श्रीमती) प्रीति के. सुरेश | - सदस्य | | |

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव - सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना
निर्णय : संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :

3. डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर को भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान राशि रु. 10,00,000=00 (रूपए दस लाख मात्र) किए गए भुगतान की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर को भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान राशि रु. 10,00,000=00 (रूपए दस लाख मात्र) किए गए भुगतान का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
4. श्री बसंत कुमार औसर को सी.पी.एफ. के अंतिम भुगतान राशि रु. 11,10,687=00 (रूपए ग्यारह लाख दस हजार छ. सौ सतासी मात्र) की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : श्री बसंत कुमार औसर को सी.पी.एफ. के अंतिम भुगतान राशि रु. 11,10,687=00 (रूपए ग्यारह लाख दस हजार छ. सौ सतासी मात्र) का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :

5. मानव संसाधन विकास केंद्र (HRDC) का Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 23.03.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।
निर्णय : मानव संसाधन विकास केंद्र (HRDC) का Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 23.03.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :

6. विश्वविद्यालय प्रेस के लिए Single Colour Offset Printing Machine क्रय करने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय प्रेस के लिए Single Colour ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन M/s Jai Prakash Offset Machinery Co., Faridabad से क्रय करने के लिए रू. 6,78,500.00 (छः लाख अदहत्तर हजार पाँच सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।
7. केंद्रीय क्रय समिति के पुनर्गठन हेतु कार्यपरिषद् की ओर से एक सदस्य मनोनीत करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: केंद्रीय क्रय समिति में कार्यपरिषद् की ओर से एक सदस्य सत्र 2021-22 हेतु प्रो. के.के. घोष, सदस्य कार्यपरिषद् एवं आचार्य, रसायन अध्ययनशाला को मनोनीत किया गया।

Internal Quality Assurance Cell (IQAC) से प्राप्त प्रस्ताव :

8. AQAR 2019-20 की रिपोर्ट NAAC की पोर्टल पर दिनांक 31.05.2021 को आनलाईन सबमिट किया गया है, की सूचना ग्रहण किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।
निर्णय: AQAR 2019-20 की रिपोर्ट NAAC की पोर्टल पर दिनांक 31.05.2021 को आनलाईन सबमिट किया गया है, की सूचना ग्रहण की गई।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :

9. वर्ष 2020-2021 की परीक्षाओं के लिए गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अनुबंध कराए जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: वर्ष 2020-2021 की परीक्षाओं के लिए गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु 2019-20 के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अनुबंधित की गई फर्म से पूर्व अनुमोदित शर्तों एवं दर के आधार पर एक वर्ष के लिए अनुबंध किए जाने हेतु अनुमोदन किया गया।

एन.सी.एन.आर. से प्राप्त प्रस्ताव :

10. एन.सी.एन.आर. विभाग में क्रय किए गए उपकरण सामग्री के वार्षिक रख-रखाव के लिए कुल रू. 19,07,801=00 (रूपए उन्नीस लाख सात हजार आठ सौ एक मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।
निर्णय: एन.सी.एन.आर. विभाग में क्रय किए गए उपकरण सामग्री के वार्षिक रख-रखाव के लिए कुल रू.19,07,801=00 (रूपए उन्नीस लाख सात हजार आठ सौ एक मात्र) की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :

11. श्री परदेशी राम भोई, कनिष्ठ अधीक्षक की बहाली संबंधी प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय: श्री परदेशी राम भोई, कनिष्ठ अधीक्षक के प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार कार्यवाही को अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
2. विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 एवं वार्षिक परीक्षा 2021 की समय-सारणी एवं परीक्षार्थियों के लिए दिशा-निर्देश की अधिसूचना माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
निर्णय: विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 एवं वार्षिक परीक्षा 2021 की समय-सारणी एवं जारी दिशा-निर्देश की अधिसूचना का कार्यांतर अनुमोदन किया गया।
3. सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर-जनवरी 2020-21 हेतु परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि रु. 19,23,113=00 (उन्नीस लाख तेईस हजार एक सौ तेरह रूपए मात्र) प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय: सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर-जनवरी 2020-21 हेतु परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि रु. 19,23,113=00 (उन्नीस लाख तेईस हजार एक सौ तेरह रूपए मात्र) प्रदान किए जाने का कार्यांतर अनुमोदन किया गया।
4. महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा एवं बी.एड./एम.एड. 2021 हेतु परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि रूपए 6,69,000=00 (छ: लाख उनहत्तर हजार रूपए मात्र) भुगतान किया गया है, कार्यपरिषद के समक्ष कार्यांतर स्वीकृति हेतु सूचनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय: महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा एवं बी.एड./एम.एड. 2021 हेतु परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि रूपए 6,69,000=00 (छ: लाख उनहत्तर हजार रूपए मात्र) भुगतान किया गया है, की कार्यांतर स्वीकृति प्रदान की गई।
5. वार्षिक परीक्षा 2021 (मार्च-अप्रैल) हेतु केंद्र अग्रिम राशि रूपए 79,90,000=00 (उन्यासी लाख नब्बे हजार रूपए मात्र) भुगतान किया गया है, कार्यपरिषद के समक्ष कार्यांतर स्वीकृति हेतु सूचनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय: वार्षिक परीक्षा 2021 (मार्च-अप्रैल) हेतु केंद्र अग्रिम राशि रूपए 79,90,000=00 (उन्यासी लाख नब्बे हजार रूपए मात्र) भुगतान किया गया है, की कार्यांतर स्वीकृति प्रदान की गई।
6. डॉ. एच.के. पाठक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रूपए 26,80,069=00 (छब्बीस लाख अस्सी हजार उनहत्तर रूपए मात्र) की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: डॉ. एच.के. पाठक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रूपए 26,80,069=00 (छब्बीस लाख अस्सी हजार उनहत्तर रूपए मात्र) की कार्यांतर स्वीकृति प्रदान की गई।
7. डॉ. ए.के. पति, सेवानिवृत्त प्रोफेसर का नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: डॉ. ए.के. पति, सेवानिवृत्त प्रोफेसर को अर्जित अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रूपए 19,55,072.00 (रूपए उन्नीस लाख पचपन हजार बहत्तर मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

8. इस विश्वविद्यालय में यंत्री के पद पर श्री के.पी. तिवारी, सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता को रूपए 20800/- प्रतिमाह मानदेय पर रखे जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: विश्वविद्यालय के यांत्रिकी विभाग में सलाहकार के रूप में श्री के.पी. तिवारी, सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता को रूपए 20800/- प्रतिमाह मानदेय पर रखे जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। आगे प्रत्येक माह मानदेय पर रखे जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

9. विश्वविद्यालय के Pre & Post examination works कार्य के लिए स्वीकृति हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: विश्वविद्यालय के Pre & Post examination works कार्य के लिए पूर्व में स्वीकृत फर्म National Consumer Co-operative Federation of India Ltd.(NCCF), Adarsh Nagar, Kanke Road, Rachi से पिछले अनुबंध के आधार पर पूर्व निर्धारित शर्तों एवं दर पर अकादमिक सत्र 2021-'22 के लिए अनुमोदन किया गया।

10. छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2020) का विनियम 108 में शामिल किए जाने हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11-6 नवा रायपुर, दिनांक 29 दिसंबर/2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (यथासंशोधित 2020) में संशोधन किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन के उक्त क्रय नियम का वि.वि. द्वारा निर्मित विनियम क्रमांक 108 में शामिल किया जाना है, ताकि शासन के क्रय नियम का पालन हो सके। विनियम क्रमांक 108 के क्रय की प्रक्रिया में निम्नानुसार जोड़ा जाना है :-

1. छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11-6 नवा रायपुर, दिनांक 29/दिसंबर/2020 के द्वारा छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2020) को जोड़ा जाना है।

2. भण्डार क्रय नियम

नियम-3 "ऐसी वस्तुएँ जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित है, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा किया जाएगा तथा विभागों द्वारा परिशिष्ट-1 में उल्लेखित वस्तुओं का क्रय छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा निर्धारित दरों एवं शर्तों के अंतर्गत राज्य के ऑनलाईन पोर्टल से सीधे किया जा सकेगा।

"छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2020) का विनियम 108 में कंडिका 01 एवं 02 पर दिए गए प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

11. तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रावधानित 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन में शिथिलीकरण आदेश को अंगीकृत किए जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22.05.2021 के अनुसार तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी वर्ग में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन एतद् द्वारा, इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के निर्देश बिंदु 8(1) में प्रावधानित 10 प्रतिशत के सभी बंधन को दिनांक 31.05.2022 तक शिथिल किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र विश्वविद्यालय में मूलतः अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।

12. वार्षिक परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2020-21 का देय राशि रू. 2,26,47,805.00 (दो करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ पाँच मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय: End-to-End Exam कार्य हेतु Pre & Post Examination के कार्य हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, कांके रोड, राँची को वार्षिक परीक्षा-पूर्व कार्य सत्र 2020-21 का देय राशि रू. 2,26,47,805.00 (दो करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ पाँच मात्र) के भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।


13. मानवविज्ञान अध्ययनशाला के विभागीय इंप्रेस्ट की राशि रू. 10,000=00 को बढ़ाकर रू. 20,000=00 करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।


निर्णय: मानवविज्ञान अध्ययनशाला के विभागीय इंप्रेस्ट की राशि रू. 10,000=00 को बढ़ाकर रू. 20,000=00 करने का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से :

14. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के आदेश क्रमांक 166/36/आउशि/वि.वि. अनु.पें./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 24.06.2020 के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग पदोन्नति की जाँच हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 15-2/2020/38-2 दिनांक 04.03.2021 के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति गठित कर की जा रही कार्यवाही की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया जाना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 2076 / अका./ का.प./2021

रायपुर, दिनांक 22/06/2021

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)